**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1508**

**दिनांक 04.03.2020/ 14 फाल्‍गुन, 1941 (शक) को उत्‍तर के लिए**

**आईटीबीपी, एसएसबी और कुछ अन्य अर्धसैनिक बलों का विलय**

**†1508. श्री मोतीलाल वोराः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या यह सच है कि कारगिल युद्ध के पश्चात् लिए गए नीतिगत फैसले के आधार पर ‘‘एक सीमा के लिए एक बल’’ की स्थापना का निर्णय लिया गया था;**

**(ख) क्या सरकार भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल और सीमा सशस्त्र बल एवं कुछ अन्य अर्ध-सैनिक बलों का आपस में विलय करके एक नए बल की स्थापना करने का विचार रखती है;**

**(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और**

**(घ) इस उद्देश्य के लिए गठित की गई समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?**

**उत्‍तर**

**गृह मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नित्‍यानंद राय)**

(क) से (घ): भारत तिब्‍बत सीमा पुलिस और सशस्‍त्र सीमा बल के विलय की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक मत पर विचार किया गया था। इस संबंध में अनौपचारिक परामर्श किए गए थे। तथापि, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*